

**कृषि मंत्रालय**  
मांग संख्या 1  
**कृषि और सहकारिता विभाग**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	(करोड़ रुपए)									
राजस्व पूंजी जोड़	1928.57	400.92	2329.49	1923.90	316.55	2240.45	2449.34	333.43	2782.77	
	258.43	0.42	258.85	216.10	72.45	288.55	220.66	10.57	231.23	
	<b>2187.00</b>	<b>401.34</b>	<b>2588.34</b>	<b>2140.00</b>	<b>389.00</b>	<b>2529.00</b>	<b>2670.00</b>	<b>344.00</b>	<b>3014.00</b>	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	6.95	26.53	33.48	4.97	25.31	30.28	5.26	26.11	31.37
<b>कृषि कार्य</b>										
2. बीज	3601	2.16	...	2.16	1.53	...	1.53	4.97	...	4.97
	2401	15.78	...	15.78	13.11	...	13.11	39.15	...	39.15
	4401	0.52	...	0.52	0.52	...	0.52	0.85	...	0.85
जोड़		18.46	...	18.46	15.16	...	15.16	44.97	...	44.97
<b>खाद्यान्न फसलें</b>										
3. त्वरित अनाज विकास कार्यक्रम-मक्का	2401	4.03	...	4.03	4.03	...	4.03	1.50	...	1.50
	3601	2.37	...	2.37	2.37	...	2.37	...	...	...
जोड़		6.40	...	6.40	6.40	...	6.40	1.50	...	1.50
4. खाद्यान्न फसलों की अन्य योजनाएं	2401	...	0.78	0.78	...	0.69	0.69	...	0.70	0.70
<b>जोड़-खाद्यान्न फसलें</b>		<b>6.40</b>	<b>0.78</b>	<b>7.18</b>	<b>6.40</b>	<b>0.69</b>	<b>7.09</b>	<b>1.50</b>	<b>0.70</b>	<b>2.20</b>
5. दालों का विकास	3601	13.96	...	13.96	15.96	...	15.96	...	...	...
	2401	16.43	0.60	17.03	19.34	0.36	19.70	...	0.49	0.49
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
जोड़		30.40	0.60	31.00	35.31	0.36	35.67	...	0.49	0.49
6. खाद्य और उर्वरक										
6.01 जैव-उर्वरकों के विकास और प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	2401	2.05	...	2.05	1.92	...	1.92	1.98	...	1.98
	3601	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	...	...	...
	4401	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.25	...	0.25
जोड़		2.50	...	2.50	2.37	...	2.37	2.23	...	2.23
6.02 अन्य कार्यक्रम	2401	3.91	...	3.91	1.98	...	1.98	34.04	...	34.04
	3601	2.34	...	2.34	0.01	...	0.01	0.03	...	0.03
	4401	0.25	...	0.25	0.01	...	0.01	0.43	...	0.43
जोड़		6.50	...	6.50	2.00	...	2.00	34.50	...	34.50
<b>जोड़-खाद्य और उर्वरक</b>		<b>9.00</b>	...	<b>9.00</b>	<b>4.37</b>	...	<b>4.37</b>	<b>36.73</b>	...	<b>36.73</b>
7. पौध संरक्षण	3601	1.41	...	1.41	2.10	...	2.10	4.92	...	4.92
	2401	16.75	13.80	30.55	14.70	13.92	28.62	39.82	14.72	54.54
	4401	5.20	...	5.20	5.20	...	5.20	6.05	...	6.05
जोड़		23.36	13.80	37.16	22.00	13.92	35.92	50.79	14.72	65.51
<b>वाणिज्य फसलें</b>										
8. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	3601	58.70	...	58.70	65.87	...	65.87	...	...	...
	2401	20.00	0.60	20.60	20.00	0.61	20.61	...	0.62	0.62
जोड़		78.70	0.60	79.30	85.87	0.61	86.48	...	0.62	0.62
9. गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने के लिए ऋण	7601	...	...	...	...	72.00	72.00	...	...	...
10. राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड	2401	5.40	...	5.40	5.40	...	5.40	4.00	...	4.00
11. तिलहनों और दालों में पशु फसल प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास	2401	11.70	...	11.70	13.05	...	13.05	...	...	...
12. गहन कपास विकास कार्यक्रम/ कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन	3601	32.30	...	32.30	30.80	...	30.80	29.42	...	29.42
	2401	5.70	0.51	6.21	3.87	0.49	4.36	10.83	0.52	11.35
जोड़		38.00	0.51	38.51	34.67	0.49	35.16	40.25	0.52	40.77
13. ऑयल पाम विकास कार्य	2401	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	...	...	...
	3601	7.00	...	7.00	3.80	...	3.80	...	...	...
जोड़		7.10	...	7.10	3.90	...	3.90	...	...	...

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			(करोड़ रुपए) बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
14. टीएमओपी के अन्य कार्यक्रम										
14.01 टीएमओपी सहित फसल- पश्च प्रौद्योगिकी	2401	1.35	...	1.35	...	...	...	17.75	...	17.75
14.02 तिलहन, ऑयलपाम, दाल तथा मक्का का समेकित विकास	2401	3.65	...	3.65	...	...	...	45.95	...	45.95
	3601	8.10	...	8.10	...	...	...	105.60	...	105.60
जोड़		11.75	...	11.75	...	...	...	151.55	...	151.55
14.03 पेड़ों से मिलने वाले तिलहन	2401	0.60	...	0.60	...	...	...	16.00	...	16.00
जोड़-टीएमओपी के अन्य कार्यक्रम	जोड़	13.70	...	13.70	...	...	...	185.30	...	185.30
15. जल प्रबंध	3601	70.00	...	70.00	...	...	...	...	...	...
	2401	...	...	...	0.50	...	0.50	49.75	...	49.75
जोड़		70.00	...	70.00	0.50	...	0.50	49.75	...	49.75
16. जल संभरण विकास परिषद	2401	2.00	...	2.00	1.15	...	1.15	2.00	...	2.00
17. अन्य वाणिज्यिक फसलें	2401	...	1.45	1.45	...	1.30	1.30	...	1.44	1.44
जोड़-वाणिज्यिक फसलें		226.60	2.56	229.16	144.54	74.40	218.94	281.30	2.58	283.88
18. बागवानी और सब्जी फसलें	3601	1.20	...	1.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
	2401	170.02	1.33	171.35	122.29	1.31	123.60	381.53	1.34	382.87
जोड़		171.22	1.33	172.55	122.49	1.31	123.80	381.73	1.34	383.07
19. विस्तार और प्रशिक्षण	2401	73.75	5.77	79.52	44.28	5.67	49.95	53.05	5.81	58.86
	3601	0.90	...	0.90	0.67	...	0.67	36.70	...	36.70
	3602	0.10	...	0.10	0.26	...	0.26	6.39	...	6.39
	4401	1.45	...	1.45	4.34	...	4.34	0.50	...	0.50
जोड़		76.20	5.77	81.97	49.55	5.67	55.22	96.64	5.81	102.45
20. फसल बीमा-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए भारतीय साधारण बीमा कम्पनी को भुगतान	2401	315.00	...	315.00	637.93	...	637.93	350.00	...	350.00
21. फार्म आय बीमा परियोजना (एफ.आई.आई.पी.)	2401	...	...	...	...	56.00	56.00	...	32.00	32.00
कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी										
22. कृषि गणना	2401	3.95	...	3.95	3.30	...	3.30	4.30	...	4.30
	3601	4.85	...	4.85	4.22	...	4.22	7.85	...	7.85
	3602	0.20	...	0.20	0.16	...	0.16	0.30	...	0.30
जोड़		9.00	...	9.00	7.68	...	7.68	12.45	...	12.45
23. कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की अन्य योजनाएं										
23.01 अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय	2401	...	7.02	7.02	...	7.00	7.00	...	6.89	6.89
23.02 मुख्य फसलों की उत्पादन लागत का अध्ययन करने की व्यापक योजना	2401	17.57	...	17.57	15.41	...	15.41	13.80	...	13.80
23.03 कृषि संबंधी सांख्यिकी में सुधार	2401	24.15	...	24.15	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06
	3601	0.15	...	0.15	21.20	...	21.20	23.88	...	23.88
	3602	...	...	...	0.15	...	0.15	0.12	...	0.12
जोड़		24.30	...	24.30	21.41	...	21.41	24.06	...	24.06
23.04 अन्य कार्यक्रम	2401	16.23	7.02	23.25	9.07	7.25	16.32	17.79	8.21	26.00
जोड़-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की अन्य योजनाएं		58.10	14.04	72.14	45.89	14.25	60.14	55.65	15.10	70.75
जोड़-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी		67.10	14.04	81.14	53.57	14.25	67.82	68.10	15.10	83.20
24. कृषि इंजीनियरी	2401	1.63	4.86	6.49	1.63	5.02	6.65	2.30	5.14	7.44
	3601	0.70	...	0.70	1.10	...	1.10	0.80	...	0.80
	4401	1.57	0.42	1.99	1.17	0.45	1.62	4.90	0.57	5.47
जोड़		3.90	5.28	9.18	3.90	5.47	9.37	8.00	5.71	13.71
25. बाजार हस्तक्षेप प्रचालन योजना/मूल्य समर्थन के लिए नेफेड को अनुदान	2401	...	294.02	294.02	...	156.00	156.00	...	192.53	192.53
26. सरकारी उद्यमों में निवेश	6401	7.79	...	7.79	7.24	...	7.24	4.68	10.00	14.68

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	(करोड़ रुपए)									
27. फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम										
27.01 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2401	...	11.36	11.36	...	11.56	11.56	...	11.62	11.62
27.02 अन्य कार्यक्रम	2401	47.50	...	47.50	41.56	...	41.56	94.72	...	94.72
	3601	4.50	...	4.50	...	...	...	19.00	...	19.00
जोड़		52.00	...	52.00	41.56	...	41.56	113.72	...	113.72
<b>जोड़-फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम</b>		<b>52.00</b>	<b>11.36</b>	<b>63.36</b>	<b>41.56</b>	<b>11.56</b>	<b>53.12</b>	<b>113.72</b>	<b>11.62</b>	<b>125.34</b>
<b>जोड़-फसल कार्य</b>		<b>1007.43</b>	<b>349.54</b>	<b>1356.97</b>	<b>1144.02</b>	<b>339.63</b>	<b>1483.65</b>	<b>1438.16</b>	<b>292.60</b>	<b>1730.76</b>
<b>अन्य फसल कार्यक्रम</b>										
28. अन्य प्रशासनिक सेवाएं – कीटनाशक अधिनियम का कार्यान्वयन	2070	1.64	4.01	5.65	1.50	4.21	5.71	1.55	4.50	6.05
29. कृषि विपणन	2435	99.35	19.65	119.00	86.51	18.26	104.77	155.22	19.14	174.36
	3601	0.25	...	0.25	0.29	...	0.29	0.25	...	0.25
	4435	0.40	...	0.40	0.20	...	0.20	0.05	...	0.05
जोड़		100.00	19.65	119.65	87.00	18.26	105.26	155.52	19.14	174.66
<b>जोड़-अन्य कृषि कार्यक्रम</b>		<b>101.64</b>	<b>23.66</b>	<b>125.30</b>	<b>88.50</b>	<b>22.47</b>	<b>110.97</b>	<b>157.07</b>	<b>23.64</b>	<b>180.71</b>
<b>मृदा और जल संरक्षण</b>										
30. नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र और बाढ़ प्रवण क्षेत्र में मृदा-संरक्षण	2402	...	0.31	0.31	...	0.31	0.31	...	0.32	0.32
31. अन्य मृदा और जल संरक्षण योजनाएं										
31.01 अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण तथा मृदा सर्वेक्षण के लिए	2402	6.38	1.30	7.68	6.38	1.28	7.66	7.35	1.33	8.68
दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का प्रयोग	4402	...	...	...	...	...	...	1.15	...	1.15
जोड़		6.38	1.30	7.68	6.38	1.28	7.66	8.50	1.33	9.83
31.02 राष्ट्रीय भूमि संसाधन आयोग/ बोर्ड	2402	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	0.90	...	0.90
31.03 जम्मू और कश्मीर में झेलम, चेनाब, शिवालिक के घटते जलग्रहण की परिस्थितिकीय बहाली	2402	16.00	...	16.00	5.00	...	5.00	...	...	...
<b>जोड़- अन्य मृदा और जल संरक्षण योजनाएं</b>		<b>23.03</b>	<b>1.30</b>	<b>24.33</b>	<b>12.03</b>	<b>1.28</b>	<b>13.31</b>	<b>9.40</b>	<b>1.33</b>	<b>10.73</b>
<b>राज्य आयोजना</b>										
32. झूम कृषि का नियंत्रण	3601	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
<b>जोड़-राज्य आयोजना</b>		<b>20.00</b>	...	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	...	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	...	<b>20.00</b>
<b>जोड़-मृदा और जल संरक्षण सहकारिता</b>		<b>43.03</b>	<b>1.61</b>	<b>44.64</b>	<b>32.03</b>	<b>1.59</b>	<b>33.62</b>	<b>29.40</b>	<b>1.65</b>	<b>31.05</b>
33. शिक्षा और प्रशिक्षण	2425	31.15	...	31.15	18.10	...	18.10	40.57	...	40.57
34. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम										
34.01 भांडागारण और सहकारी विपणन समितियां	2425	8.50	...	8.50	8.56	...	8.56	8.50	...	8.50
34.02 सहकारी कताई मिलों में पूंजी की भागीदारी	2425	9.00	...	9.00	0.50	...	0.50	1.80	...	1.80
34.03 सहकारिता विकास हेतु एनसीडीसी कार्यक्रम को सहायता	2425	1.60	...	1.60	0.50	...	0.50	5.00	...	5.00
<b>जोड़-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम</b>		<b>19.10</b>	...	<b>19.10</b>	<b>9.56</b>	...	<b>9.56</b>	<b>15.30</b>	...	<b>15.30</b>
35. राज्य भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर	6425	100.00	...	100.00	70.00	...	70.00	60.00	...	60.00
36. अन्य कार्यक्रम-सहकारिता और ऋण	2425	13.00	...	13.00	12.07	...	12.07	11.80	...	11.80
<b>जोड़-सहकारिता</b>		<b>163.25</b>	...	<b>163.25</b>	<b>109.73</b>	...	<b>109.73</b>	<b>127.67</b>	...	<b>127.67</b>
37. कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों की वृद्धि/सराहना (वृहद् प्रबंधन)	2401	30.50	...	30.50	26.50	...	26.50	30.00	...	30.00
	2402	3.00	...	3.00	2.50	...	2.50	1.96	...	1.96
	3601	487.20	...	487.20	408.47	...	408.47	488.68	...	488.68
	3602	2.00	...	2.00	0.40	...	0.40	2.50	...	2.50
	6402	3.00	...	3.00	2.50	...	2.50	1.95	...	1.95
	7601	121.80	...	121.80	108.28	...	108.28	122.00	...	122.00
	7602	0.50	...	0.50	0.10	...	0.10	0.35	...	0.35
जोड़		648.00	...	648.00	548.75	...	548.75	647.44	...	647.44

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			(करोड़ रुपए) बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
38. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552 4552 जोड़	200.90 15.80 216.70	... ... ...	200.90 15.80 216.70	195.61 16.39 212.00	... ... ...	195.61 16.39 212.00	247.50 17.50 265.00	... ... ...	247.50 17.50 265.00
<b>कुल जोड़</b>		<b>2187.00</b>	<b>401.34</b>	<b>2588.34</b>	<b>2140.00</b>	<b>389.00</b>	<b>2529.00</b>	<b>2670.00</b>	<b>344.00</b>	<b>3014.00</b>
<b>ख. सरकारी उद्यमों में निवेश</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
26.01 राष्ट्रीय बीज निगम	12401	2.29	...	2.29	2.29	...	2.29	4.00	...	4.00
26.02 दामोदर घाटी निगम	12402	3.00	...	3.00	2.50	...	2.50	1.95	...	1.95
26.03 स्टेट फार्म कारपोरेशन ऑफ इंडिया	12401	5.50	...	5.50	4.95	...	4.95	0.68	...	0.68
26.04 भूमि विकास बैंक	12425	100.00	...	100.00	70.00	...	70.00	60.00	...	60.00
<b>जोड़</b>		<b>110.79</b>	<b>...</b>	<b>110.79</b>	<b>79.74</b>	<b>...</b>	<b>79.74</b>	<b>66.63</b>	<b>...</b>	<b>66.63</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय केन्द्रीय आयोजना</b>										
1. फसल कार्य	12401	1649.43	...	1649.43	1687.77	...	1687.77	2081.69	...	2081.69
2. अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	100.00	...	100.00	87.00	...	87.00	155.52	...	155.52
3. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	6.95	...	6.95	4.97	...	4.97	5.26	...	5.26
4. अन्य प्रशासनिक कार्य	32070	1.64	...	1.64	1.50	...	1.50	1.55	...	1.55
5. मृदा और जल संरक्षण	12402	29.03	...	29.03	17.03	...	17.03	13.31	...	13.31
6. सहकारिता	12425	163.25	...	163.25	109.73	...	109.73	127.67	...	127.67
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	216.70	...	216.70	212.00	...	212.00	265.00	...	265.00
<b>Total</b>		<b>2167.00</b>	<b>...</b>	<b>2167.00</b>	<b>2120.00</b>	<b>...</b>	<b>2120.00</b>	<b>2650.00</b>	<b>...</b>	<b>2650.00</b>
<b>राज्य आयोजना</b>										
1. झूम कृषि का नियंत्रण	43601	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
<b>जोड़</b>		<b>2187.00</b>	<b>...</b>	<b>2187.00</b>	<b>2140.00</b>	<b>...</b>	<b>2140.00</b>	<b>2670.00</b>	<b>...</b>	<b>2670.00</b>

1. यह प्रावधान कृषि और सहकारिता विभाग के सचिवालय, परामर्शदाता (कृषि) के कार्यालय, भारतीय दूतावास, रोम और तिलहन और दालों पर प्रौद्योगिकी मिशन के मुख्यालय के व्यय से संबंधित है। इसमें ऋण आयोजना और अनुवीक्षण तथा बहुराज्यीय सहकारी समितियों के विकास पर होने वाला स्थापना संबद्ध व्यय भी शामिल है।

2. इसमें कृषक अधिकार विधान वाले पौधों की किस्मों के संरक्षण का क्रियान्वयन और दो पुनर्संचित स्कीमों का प्रावधान शामिल हैं (i) गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण तथा (ii) बीज पर परिवहन सब्सिडी, बीज फसल बीमा, बीज बैंक की स्थापना और अनुसंधान, बीज का गुणवत्ता प्रबंध तथा एसएफसीआई/एनएससी को ऋणों पर मौजूदा स्कीमों के स्थान पर एनएससी/एसएफसीआई की पुनर्संचना। मौजूदा स्कीमों और पुनर्संचित स्कीमों में प्रावधान रखा गया है।

3. इस योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से मिशन दृष्टिकोण आधार पर मक्के की उत्पादकता को बढ़ाना है। इस प्रावधान में सम्पूर्ण ईएपी संघटक शामिल है।

4. यह प्रावधान चावल और बाजरे के विकास कार्यक्रमों के लिए निदेशालयों हेतु है।

5. यह प्रावधान आयोजना-भिन्न के अंतर्गत दाल विकास निदेशालय के लिए है। इस योजना के अंतर्गत मद सं.14.02 पर पुनर्गठित स्कीम में प्रावधान रखा गया है।

6. यह प्रावधान जैव-उर्वरकों के विकास और उपयोग, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान के सुदृढीकरण पर व्यय के लिए है। इसमें एक नई स्कीम आर्गेनिक खेती के संवर्धन पर राष्ट्रीय परियोजना के लिए प्रावधान शामिल है।

7. यह व्यवस्था केन्द्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, एकीकृत कीट प्रबंधन के संवर्धन, कीट नियंत्रण और अनुसंधान, कीटनाशक अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन कीट प्रबंधन दृष्टिकोण को मजबूत करने और आधुनिकीकरण करने की नई पुनर्संचित योजना के लिए की गई है।

8. यह प्रावधान गैर-योजना के अंतर्गत तिलहन विकास निदेशालय के लिए है। इस योजना के अंतर्गत मद सं.14.02 पर पुनर्गठित स्कीम में प्रावधान रखा गया है।

10. यह प्रावधान तिलहन और वनस्पति तेल उद्योग के एकीकृत विकास के लिए राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड के लिए है।

12. इस योजना के अधीन मुख्यतः शुरुआती प्रदर्शन आयोजित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अनुदान सहायता, संकर बीजों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रशिक्षण, बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु एन.एस.सी./एस.एफ.सी.आई. को अनुदान-सहायता देने के लिए व्यवस्था है।

13. यह व्यवस्था बीजों और पौधों की आपूर्ति, फसल उगाने के लिए किसानों को सहायता, तेल निष्कर्षण इकाइयों की स्थापना की सहायता, आदि के लिए है। मौजूदा योजनाओं और पुनर्संचित योजना के लिए व्यवस्था की गई है।

14. यह व्यवस्था अनुसंधान और विकास में फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी, एकीकृत तिलहन, ताड़ के तेल, दालों और मक्का का विकास, नोवोड बोर्ड, वृक्ष से प्राप्त तिलहन आदि की पुनर्संचित योजनाओं के लिए है।

15. इस योजना के अधीन पम्प सेटों सहित शेडों ट्यूबवैलों के निर्माण, लिफ्ट-सिंचाई स्थलों और अलग-अलग/किसानों के समूह को विद्युत/डीजल पम्प सेटों के लिए सहायता दी गई है।

16. यह व्यवस्था जल-संभर विकास परिषद के लिए है जिसका गठन विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के निष्पादन के लिए समग्र जिम्मेदारी के साथ किया गया था।

17. यह व्यवस्था वाणिज्यिक फसलों के विकास कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी विभिन्न निदेशालयों पर व्यय करने के लिए की गई है।

18. यह व्यवस्था नारियल पर प्रौद्योगिकी मिशन, मानव संसाधन विकास, जम्मू तथा कश्मीर और उत्तरांचल हेतु बागवानी से संबद्ध पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र विकास, प्रौद्योगिकी मिशन सहित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास

बोर्ड के लिए की गई है। इसमें प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप और दो निदेशालयों (काजू और मसाले) के माध्यम से बागवानी की उच्च तकनीक खेती और सतत विकास से संसाधनों के सक्षम उपयोग हेतु दो नई उच्च प्रौद्योगिकी बागवानी की स्कीमों के लिए व्यवस्था है।

19. यह व्यवस्था राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना, विदेशी सहायता प्राप्त दो योजनाओं, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना और खाद्यान्न सुरक्षा से संबद्ध यू.एन.डी.पी परियोजना, केंद्रीय संस्थानों/डी.ओ.ई. से संबद्ध दो पुनर्संचित योजनाओं, विस्तार सहायता और कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करने की मौजूदा स्कीमों के स्थान पर राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता प्रदान करना, कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास/सूचना सहायता, प्रबंध सूचना प्रणाली और कृषि विस्तार को सुदृढ़ करने के लिए है। मौजूदा तथा पुनर्संचित स्कीमों में व्यवस्था की गई है।

20. यह व्यवस्था "राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम" के लिए है जिसे कृषकों, फसलों तथा जोखिम के कवरेज को बढ़ाने के लिए खरीफ मौसम 1999 से कार्यान्वित किया गया है। यह योजना "क्षेत्र दृष्टिकोण" के आधार पर संचालित की जाती है और प्रत्येक भागीदार राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र से यह अपेक्षा है कि वे तीन वर्षों की समायवधि में बीमा के इकाई क्षेत्र के रूप में ग्राम पंचायत के स्तर तक पहुंचें।

21. यह प्रावधान फार्म आय बीमा योजना पर प्रायोगिक परियोजना के लिए है। कृषक की आय अर्थात् एकल नीति उपाय के माध्यम से उपज तथा कीमत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य संघटकों को लक्ष्य बनाने के लिए इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम को 16 राज्यों के 20 जिलों में गेहूँ, रबी - चावल के लिए रबी-2003-04 से प्रायोगिक आधार पर लिये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

22. यह प्रावधान कृषि गणना को निष्पादित करने के लिए होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रचालनात्मक जोतों की संरचना तथा नीति के निमित्त आवश्यक अन्य मामलों पर आंकड़े प्राप्त करना है।

23. यह व्यवस्था मुख्यतः प्रमुख फसलों की खेती की लागत, कृषि-अर्थव्यवस्था संबंधी अनुसंधान संबंधी क्षेत्रीय केंद्रों, कृषि सांख्यिकी और कृषि नीति को मजबूत करना और कृषि का नियोजन और प्रबंध, प्रत्येक कृषि-जलवायु क्षेत्र/राज्य के लिए दीर्घकालिक यंत्रीकरण नीति का निर्माण, राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र, फसल का एकड़वार क्षेत्रफल और उत्पादन अनुमान, विशेष आंकड़ा प्रसार मानदंडों, कृषि अर्थव्यवस्था नीति और विकास के अध्ययन से संबंधित पुनर्संचित योजनाएं तथा फसल उत्पादन में पूर्वानुमान और दूरगामी प्रयोग के लिए है। यह व्यवस्था पुनर्संचित और मौजूदा स्कीमों के लिए है। यह व्यवस्था अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, अंतरिक्ष कृषि मौसम और भू-आधारित अवलोकन का उपयोग करते हुए कृषि उपज की भविष्यवाणी और कृषि सांख्यिकी में सुधार जिसमें प्रधान फसलों के क्षेत्र के अनुमानों और उत्पादन की समयबद्ध सूचना, फसल सांख्यिकी में सुधार, कृषि सांख्यिकी का संग्रहण तथा फलों/सब्जियों और लघु फसलों का फसल अनुमान सर्वेक्षण शामिल है, के लिए भी है।

24. यह व्यवस्था फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थानों के लिए है। ये संस्थान प्रगतिशील कृषकों, तकनीशयनों, राज्य सरकारों के नामितों कृषि उद्योग निगमों, कृषि संस्थानों और इंजीनियरिंग उद्यमों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। इस व्यवस्था में कृषकों के खेतों पर बागवानी उपकरणों को उपलब्ध कराने के साथ ही नए विकसित कृषि उपकरणों का प्रदर्शन भी शामिल है।

25. मूल्य समर्थन अथवा बाजार हस्तक्षेप संबंधी उपाय किसानों को लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए है। नैफेड ऐसे प्रचालनों को करने के लिए केंद्रीय नामोदिष्ट एजेंसी है।

26. यह व्यवस्था दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों नामतः भारत राज्य फार्म निगम लिमिटेड तथा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, की पुनर्संरचना के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए है।

27. इसमें खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम को अंशदान देना शामिल है। इस व्यवस्था में आपदा प्रबंध कार्यक्रम पर होने वाला व्यय, कृषि-कारोबार, कृषि क्लिनिकों, कृषि सूचना व्यवस्थाओं की मजबूती/प्रोत्साहन (कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण का सुदृढ़ीकरण और (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग देना, डीएसी (मुख्यालय) में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, फील्ड कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, कृषि सूचना तंत्र और संचार का विकास, कृषि संसाधन सूचना प्रणाली) के लिए भी व्यवस्था शामिल है।

28. यह व्यवस्था कीटनाशी अधिनियम के प्रशासन तथा क्रियान्वयन संबंधी व्यय के लिए है। मौजूदा स्कीमों तथा साथ ही पुनर्संचित स्कीमों में व्यवस्था की गई है।

29. यह व्यवस्था एगमार्क ग्रेडिंग और निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूती देने, बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण, विपणन सूचना नेटवर्क, विपणन और निरीक्षण महानिदेशालय, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थानों को सहायता, ग्रामीण गोदामों का निर्माण, बाजार अवसंरचना का विकास तथा ग्रेडिंग और मानकीकरण से संबंधित मौजूदा स्कीम के लिए है।

30. यह व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को अनुदान के लिए की गई है।

31. यह व्यवस्था अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण, तथा राष्ट्रीय भूमि संसाधन बोर्ड/आयोग तथा जम्मू और कश्मीर में झेलम, चेनाब और शिवलिक के घटते जलग्रहण क्षेत्र की पारिस्थिकीय बहाली के लिए की गई है।

32. इस व्यवस्था में झूम खेती से संबद्ध राज्य योजना की स्कीमों के लिए केंद्रीय सहायता शामिल है।

33. इन योजनाओं का बुनियादी उद्देश्य सहकारी समितियों के सदस्यों को शिक्षा देना और राज्यों के सहकारिता विभागों, सहकारी संस्थानों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है ताकि सदस्यों को सहकारी समितियों के लाभ के बारे में और सहकारिता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए जागरूक बनाया जा सके।

34. यह व्यवस्था राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से सहयोग द्वारा विकासाधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी कताई मिलों, सहकारी विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण कार्यक्रम के लिए है। यह व्यवस्था सहकारिता विकास हेतु एनसीडीसी को एक पुनर्संचित स्कीम सहायता के लिए भी की गई है।

35. यह योजना लघु सिंचाई, भूमि विकास, फार्म यंत्रीकरण, आदि के क्षेत्र में विकासात्मक प्रयोजनों के लिए कृषकों को दीर्घावधिक कृषि ऋण देने के लिए है।

36. यह व्यवस्था चुनिंदा जिलों में राष्ट्रीय सहकारी संघों और एकीकृत सहकारी विकास को सहायता प्रदान करने के लिए है।

37. अभी तक राज्यों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैमाने/विषयवस्तु के अनुसार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता दी जाती थी। समझौता ज्ञापन आधार पर केंद्र - प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को लचीलापन प्रदान करने के लिए 27 चालू स्कीमों को एकीकृत करके "राज्य के प्रयास चिन्तन कार्य योजना की वृद्धि/सहायता" नामक एक नई योजना तैयार की गई है। इसने वर्ष 2000-01 से प्रचालन प्रारंभ किया।

38. यह व्यवस्था पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभ के लिए स्कीमों के लिए है।